निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-44/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)- प्रथम वा0क0, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)- प्रथम वा0क0, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 25.07.2017 तक श्री एन.के. सिन्हा लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार मिणा (ले0प0) श्री दीपक मालवीय, श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.08.2016 से 20.08.2016 तक श्री ए.एन. साहू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – कर निर्धारण
3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	93065.26
2015-16	109806.83
2016-17	125450.15

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्यर्पित राशि
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
2014-15					
2015-16		शून्य			
2016-17					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-प्रथम वा0क0, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)प्रथम, वा0क0 देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह मार्च 2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह .....-...... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ख)

प्रस्तर-1 अंकगणितीय त्रुटि के कारण आई.टी.सी का कम रिवर्स किया जाना ₹0.83 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(8)(i) के प्रावधानों के अनुसार खरीद वापसी, इन्सेन्टीव आदि पर आई.टी.सी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) वाणिज्य कर, - प्रथम की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री न्यू मेहर-कम्यूनिकेशन, राजपुर रोड, देहरादून, कर-निर्धारण वर्ष 2013-14, टिन न0 - 05012048104 द्वारा 5% वाली वस्तु ₹6,18,38,820/- का क्रय किया गया। जिस पर व्यापारी द्वारा आई.टी.सी का दावा किया गया। आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹8,46,721/- खरीद -वापसी ₹9,53,042/- प्राइस डिफरेन्स ₹17,98,881/- इन्सेन्टीव स्कीम अर्थात् कुल 35,98,644/- पर आई.टी.सी रिवर्स किया गया अर्थात् शुद्ध क्रय ₹5,82,40,176/- (6,18,38,820-35,98,644/-) पर 5% की दर से ₹29,12,009/- का आई.टी.सी अनुमन्य होगा। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹29,95,378/- का आई.टी.सी अनुमन्य किया गया। इस प्रकार ₹83,369/- (29,95,378-29,12,009) का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स योग्य है। अर्थात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹83,369/- का कम आई.टी.सी रिवर्स किया गया।

विभाग को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि गणना की त्रुटि के कारण अधिक आई.टी.सी अनुमन्य हो गया। जाँच के पश्चात् आख्या दे दी जायेगी। जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अतः प्रकरता उच्चाधिकारियों के संज्ञान में पाया जाता है।

भाग-2(ख)

प्रस्तर 2- अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.20 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा- 58(1)(vii) के अन्तर्गत किसी व्यौहारी ने युक्ति युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नही किया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत यदि कर 10 हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो का दायी होगा।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) प्रथम वा.क. देहरादून के अभिलेखों के जांच में पाया गया कि 03 व्यापारियो द्वारा विभिन्न माहो में देय कर की कुल राशि ₹1203162/- को विलंब से जमा किया था।

विवरण संलग्न

अतः विलंब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत नियमानुसार ₹120316.2/- का अर्थदण्ड आरोपणीय है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने जांचोपरान्त अवगत करने का आश्वासन दिया है। जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतिक्षा रहेगी।

व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि(₹)	आरोपणीय अर्थदण्ड(₹)
सर्वश्री समर्थ लाईफ स्टाईल रिटेलिंग प्रा0लि0 2013-14 टिन सं.- 05010136137	2013-14	अप्रैल-13 मई-13 जून-13 जुलाई-13 अगस्त-13 नवम्बर-13	27.05.13 28.06.13 31.07.13 28.07.13 27.09.13 22.01.14	96,206/- 1,01,210/- 79,677/- 1,63,376/- 1,10,771/- 2,80,901/-	9,620.6/- 10,121.0/- 7,967.7/- 16,337.6/- 11,077.1/- 28,090.1/-
सर्वश्री अरोश इंटरप्राईजेज टिन सं.- 05011018643	2013-14	जुन-13 अगस्त-13 दिसम्बर-13	25.01.14 25.01.14 24.03.14	38,988/- 19,004/- 33,029/-	3,898.8/- 1,900.4/- 3,302.9/-
सर्वश्री कुमार स्टोरस टिन सं.- 05006126642	2013-14	Q1(अप्रैल से जुन) Q3 (अक्टुबर से दिसम्बर)	30.07.13 30.01.14	1,80,000/- 1,00,000/-	18,000.0/- 10,000.0/-
			योग	12,03,162/-	1,20,316.2/-

भाग-2(ख)

प्रस्तर-03 क्रेडिट नोटस के बगैर विक्रय वापसी पर कर का लाभ अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹16.34 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार विक्रय के सकल आर्वत के अवनिर्धारण हेतु विक्रय वापसी (6 माह के अन्दर) की धनराशि सकल आर्वत से कम कर दी जायेगी बशर्ते कि व्योहारी द्वारा अपने लेखे में माल के विक्रय एवं वापसी किन.किन तिथियों को हुई है एवं किन - किन तिथियों को कितनी धनराशि वापस या क्रेता को जमा (Credit) की गई है, प्रदर्शित की जाये।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) प्रथम वा.क. देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि व्योहारी सर्वश्री पी.ई. इलेक्ट्रानिक्स लि0.जी.एम.एस. रोड देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में ₹1,21,09,642/- के बिक्री वापसी प्रदर्शित करते हुये ₹16,34,802/- के टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था।

व्योहारी के संगत वर्ष की पत्रावली की आगे लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि विक्रय वापसी के सम्बन्ध में क्रेडिट नोटस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे। ऐसी स्थिति में विक्रय वापसी पर टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जाना नियमावली के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि क्रेडिट नोट्स की जांच की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कर निर्धारण आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था न ही तिथियों को अंकित करते हुये माल के विक्रय एवं विक्रय वापसी तथा क्रेडिट नोटस का विवरण/ साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसका सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)**-** प्रथम वा0क0, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः

   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अजय कुमार	डिप्टी कमिश्नर(क.नि.)-I देहरादून

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)**-** प्रथम वा0क0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र